27/10/2022 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने निवेदन किया कि मेरा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिकी की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा चुका है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किया जावें। वकील वादी को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्राथमिक डिकी की पालना में विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम–18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम /न्याया / स्था/प–51/2008/विविध/10546 दिनांक 5.10.2020 में प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के दावा वादी अन्तिम रूप से डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक/ भू.अ./2022/6209 दिनांक 18.10.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिकी का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिकी मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)